7883

Your Roll No.

LL.B. / I Term

ES

Paper LB-104: CRIMINAL LAW (OC)

(Specific Crimes)

Time: 3 hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note:— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी:— इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt any five questions.

All questions carry equal marks.

किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

 Gopal, the accused struck the deceased Govind three blows on the head with a stick with the intention of killing him. As Govind fainted by the impact of the blows, Gopal, believing him to be dead, set fire to the hut in which he was lying with a view to remove all evidence of the crime. Medical evidence showed that the blows were not likely to cause death and did not cause death and that death was really caused by injuries from burning.

What offence has been committed by Gopal? Explain in the light of legal provisions and judgments.

अभियुक्त गोपाल ने मृतक गोविन्द को मारने के आशय से उसके सिर पर लाठी से तीन प्रहार किये। प्रहारों के आघात से जैसे ही गोविन्द अचेत हुआ, गोपाल ने उसे मरा समक्ष कर अपराध के सारे साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उस फोंपड़ी को आग के हवाले कर दिया जिसमें वह पड़ा हुआ था। चिकित्सीय साक्ष्य ने दर्शाया कि प्रहारों के द्वारा मृत्यु कारित किये जाने की संभावना नहीं थी और न ही उनसे मृत्यु कारित हुई तथा मृत्यु वस्तुत: जलने से आई चोटों द्वारा कारित की गई।

गोपाल ने क्या अपराध किया है? विधिक उपबंधों और निर्णयों को ध्यान में रखते हुये व्याख्या कीजिए। 20

2. (a) Under Section 300(3) of the IPC, it is not necessary that the offender intended to cause death, so long as the death ensues from the intended bodily injury or injuries sufficient to cause death in the ordinary course of nature. Explain.

भारतीय दंड संहिता की धारा 300(3) के अन्तर्गत यह अनिवार्य नहीं है कि अपराधी का मृत्यु कारित करने का तब तक आशय हो, जब तक शारीरिक क्षति या क्षतियों, जिनके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हों। स्पष्ट कीजिए।

- (b) Reema was standing near the door of an overcrowded Roadways bus. When the bus was moving she fell down from the moving bus and was crushed under its rear wheels. Discuss the criminal liability of the bus driver for causing death by a rash and negligent act.

 रीमा क्षमता से अधिक भरी हुये एक रोडवेज बस के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। जब बस चलने लगी वह चलती बस से नीचे गिर गई तथा इसके पिछले पहिये के नीचे कुचली गई। उतावलेपन से तथा अपेक्षापूर्वक कृत्य द्वारा मृत्यु कारित करने हेतु बस चालक के आपराधिक दायित्व का विवेचन कीजिए।
- 3. Critically examine the decision of the Allahabad High Court in Emperor V. Mt. Dhirajia AIR 1940 All 486 and state as to what are the distinguishing facts in the case from those in Gyarsibai V. State AIR 1953 MB 61 in affixing different criminal liabilities in these cases.
 - 'Emperor V. Mt. Dhirajia AIR 1940 All 486 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विनिश्चय की समीक्षात्मक जांच कीजिए। इस केस और Gyarsibai V. State AIR 1953 MB 61 केस— इन दोनों केसों में भिन्न आपराधिक दायित्वों को लगाने में क्या-क्या सुभिन्नकारी तथ्य हैं?

- 4. "It is not all provocation that will reduce the crime of murder to manslaughter."
 - (a) Discuss the doctrine of provocation as a partial defence to charge of murder under exception (1) to Section 300 of the IPC.
 - (b) Explain 'Sudden Fight' as an exception to a charge of murder.
 - "यह सब कुछ प्रकोपन ही नहीं है जो हत्या के अपराध को कम करके मानव वध का अपराध कर देगा।"
 - (a) भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद (1) के अन्तर्गत हत्या के आरोप के प्रति आंशिक प्रतिरक्षा के रूप में प्रकोपन के सिद्धान्त का विवेचन कीजिए।
 - (b) हत्या के आरोप के प्रति अपवादस्वरूप 'अचानक लड़ाई' की व्याख्या कीजिए।
- 5. Explain any two of the following:
 - (a) Grievous hurt
 - (b) Sexual harassment
 - (c) Difference between kidnapping and abduction.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए:

- (a) घोर उपहति
- (b) यौन उत्पीड़न
- (c) व्यपहरण और अपहरण के बीच भिन्नता। 10×2=20

6. Discuss the significant changes brought about in the law of rape in India by the Criminal Laws Amendment Act, 2013.

Do you think, in the light of changes in the provisions, that a woman can be held liable for gang rape? Discuss with the help of judicial precedents and legislative provisions?

दांडिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 द्वारा भारत में बलात्संग की विधि में किये गये सार्थक परिवर्तनों का विवेचन कीजिए।

उपबंधों में हुये परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुये क्या आप मानते हैं कि सामूहिक बलात्संग के लिये किसी स्त्री को दायित्वाधीन ठहराया जा सकता है? न्यायिक नज़ीरों और विधायी उपबंधों की सहायता से विवेचन कीजिए। 20

- 7. (a) A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plate, without Z's consent. What offence, if any, has A committed?
 - A, जो Z का सेवक है तथा जिसे Z की प्लेट की देखभाल सुपुर्द की गई है, Z की सम्मित के बिना बेईमानी से उसकी प्लेट लेकर भाग जाता है। A ने क्या कोई अपराध किया है?
 - (b) A by putting a counterfeit mark on an article, intentionally deceives Z into belief that this article was made by a certain celebrated manu-

facturer and thus dishonestly induces Z to buy the same. What offence has A committed?

एक वस्तु पर कूटकृत चिह्न लगाकर A इरादतन Z को यह विश्वास करने का धोखा देता है कि उक्त वस्तु का विनिर्माण कितपय प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा किया गया था तथा इस प्रकार Z को बेईमानी से उसको क्रय करने के लिये उत्प्रेरित करता है। A ने क्या अपराध किया है? 10

- 8. Explain any two of the following with the help of illustrations, cases and legal provisions:
 - (a) Difference between criminal breach of trust and dishonest misappropriation of property
 - (b) Distinguish theft from extortion
 - (c) Section 304B and 498A of the IPC are not mutually exclusive.

दृष्टान्तों, केसों और विधिक उपबंधों की सहायता से निम्नलिखित में से किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए:

- (a) आपराधिक न्यास भंग और सम्पत्ति का और बेईमान दुर्विनियोजन के बीच भिन्नता
- (b) चोरी को उद्दापन से विभेदित कीजिये
- (c) भारतीय दंड संहिता की धारा 304B और 498A परस्पर अपवर्जक नहीं हैं। 10×2=20